

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा
डिक्री

दिनांक :- 15/01/26

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री कमलेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:-

वादी को तहसील पीलीबंगा के चक 33 एनडीआर के खाता सं. 9/52 के प.नं. 98/353 (24) किला नं. 24, 25, प.नं. 98/354 (27) किला नं. 4 ता 7, 14 ता 17, 24/1, 25/1, प. नं. 99/356 (37) किला नं. 6 ता 9, 12 ता 19 की कुल 6.021 हैक्. कमांड अनकमांड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है।


तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।



खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 15/01/20 को
हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(**B** जमरा मित्तल)
उपरवर्तित अधिकारी पीलीबंगा
पदेन न्यायाधीश कलक्टर
पीलीबंगा